

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्या -2/स्था0/राज/आ0प्र0प्रा0-3/2012/.....3967...../आ0प्र0, पटना-15, दि0- 10/9/13.

आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 (2005 का 53 ) की धारा-14 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों की संदाय) नियमावली 2008 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उक्त नियमावली, 2008 के नियम -4 के उपनियम (V) के खंड (ख) के बाद एक नये खंड (ग) का जोड़ा जाना । - उक्त नियमावली, 2008 के नियम-4 के उपनियम -(v) के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित नया खंड (ग) जोड़ा जायेगा :-

"(ग) सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या सदस्य को जिनके द्वारा इस नियम के उपनियम (V) के खंड (क) एवं (ख) के अधीन विकल्प का चयन किया जाएगा, पेशन (महंगाई राहत छोड़कर) आतिथ्य भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सकल राशि का 20% (20 प्रतिशत) की राशि के, आवास भत्ता के रूप में वर्तमान पद पर अपनी नियुक्ति की तिथि से हकदार होंगे ।

प्राधिकरण के विद्यमान उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के मामले में यह राशि उनके पद धारण की तिथि से अनुमान्य होगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से



(राजीव कुमार सिंह)  
विशेष सचिव

संख्या - 2/स्था0/राज/आ0प्र0प्रा0-3/2012/.....3967...../आ0प्र0, का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -343 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा के उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(राजीव कुमार सिंह)  
विशेष सचिव

In exercise of the powers conferred by section-14 & 78 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Disaster Management (Terms of Office and Conditions of Service of Members of the State Authority and Pay and Allowances) Rules, 2008 with immediate effect :-

Amendment

Addition of a new clause (c) after clause (b) of subrule (V) of Rule 4 of the said Rules, 2008 – The following new clause (c) shall be added after clause (b) of subrule (V) of Rule 4 of the said Rules, 2008 :-

“ (c) In the event of non-availability of government accomodation, the Vice Chairperson and Members of the Bihar State Disaster Management Authority who have opted options under clause (a) and (b) of subrule (v) of this Rule, shall be entitled for the amount of 20% (twenty percent ) of the sum total of daily allowance, sumptuous allowance and pension (excluding dearness relief ) from the date of their appointments on the present post. In case of existing vice chairman and members of the authority this amount shall be admissible from the dates of assuming their respective posts.”

By order of the Governor of Bihar

Special Secretary to the Govt. of Bihar

ज्ञापांक - 3967 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक - 10/9/13  
प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि इसे राजपत्र के आगामी अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । अधिसूचना की सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी इसके साथ अनुलग्न है ।

विशेष सचिव

ज्ञापांक - 3967 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक - 10/9/13-  
प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष सचिव

ज्ञापांक - 3967 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक - 10/9/13.  
प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / संयुक्त सचिव(स्था0) / सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण / अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विशेष सचिव

ज्ञापांक - 3967 / आ0प्र0, पटना-15, दिनांक - 10/9/13  
प्रतिलिपि सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

विशेष सचिव